प्रेस नोट **07/06/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 07-06-2024 को मु0अ0सं0 152/22 धारा 376एबी,504,506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त रंजीत उर्फ गोलू पुत्र रामनवल निवासी गोठा लोहरपुरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए अभिप्रेत होगा) की सजा एवं ₹50,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

चोरी की 02 मोटरसाईकिल के साथ एक शातिर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 07.06.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय के पास से अभियुक्त विक्की राजभर पुत्र छब्बूलाल राजभर निवासी रसुलपुर थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटरसाईकिल टीवीएस अपाचे (यूपी54वाई1137, यूपी61एक्यू4725) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जो मु0अ0सं0 228/24 धारा 379,414,420,467,468,471 से संबंधित पाया गया उक्त अभियोग में धारा 411 की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अभियुक्त विक्की राजभर पुत्र छब्बूलाल राजभर निवासी रसुलपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी-

01. 02 अदद मोटरसाईकिल टीवीएस अपाचे (यूपी54वाई1137, यूपी61एक्यू4725)।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 07.06.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 421/23 धारा 420,467,468,471 भादवि में वांछित अभियुक्त रामचीज पुत्र पुर्णवासी निवासी चन्दायर बलीपुर थाना उभाव बलिया तथा घोसी पुलिस द्वारा

थानीदास मोड़ के पास से मु0अ0सं0 222/24 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विक्रम राजभर निवासी सरया थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।